


उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/1647 /
चार-12-15/99 भाग-तेरह

जबलपुर, दिनांक 18 / 04 / 2022

श्री नियामत अली, टाईपराइटर मैकेनिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/1416/चार-12-15/99 जबलपुर, दिनांक 28-05-2009 के अनुक्रमांक 99 द्वारा स्वीकृत द्वितीय समयमान वेतनमान वापस लेते हुए उन्हें मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ 11-3/2020/नियम/चार भोपाल, दिनांक 03-06-2020 के आलोक में परिशिष्ट-2 में टाईपराइटर मैकेनिक हेतु देय उच्चतर वेतनमान अनुसार प्रथम समयमान वेतनमान दिनांक 01-04-2006 एवं द्वितीय समयमान वेतनमान दिनांक 05-09-2008 से स्वीकृत किया जाता है।


13.04.22
(कृष्णमूर्ति मिश्र)


रजिस्ट्रार जनरल

जबलपुर, दिनांक 18 / 04 / 2022

पृष्ठांकन क्रमांक C/1648 /
चार-12-15/99 भाग-तेरह

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार, प्रशासन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
2. एस.पी.एस.ए. (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
3. ओ.एस.डी. (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
6. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.) स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
7. सहायक स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. श्री नियामत अली, टाईपराइटर मैकेनिक, उच्च न्यायालय म.प्र., मुख्यपीठ जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
P.S.